



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 404 राँची, सोमवार,

10 जुलाई, 2023 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

संकल्प

27 जून, 2023

संख्या-01/नीति-40-01/2013(खण्ड)-1527--

विषय:- M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. को होलोग्राम आपूर्ति हेतु निविदा के रद्द किये जाने के फलस्वरूप राजस्वहित में मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जाने हेतु होलोग्राम/उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) को भारत सरकार के उपक्रम, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press), नासिक, महाराष्ट्र से अंतरिम व्यवस्था के तहत मनोनयन के आधार पर प्राप्त किये जाने के संबंध में ।

उत्पाद राजस्व संवर्द्धन एवं अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जाने के लिए होलोग्राम आपूर्ति हेतु M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. का चयन निविदा के आधार पर किया गया था। इस संस्थान के साथ विभागीय करार (Agreement) दिनांक 25.10.2021 को सम्पन्न हुआ एवं माह दिसम्बर, 2021 से इनके द्वारा निविदा शर्तों में वर्णित सुरक्षा मानकों से युक्त होलोग्राम की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई। चयनित संस्थान को

मदिरा के विनिर्माण से लेकर बिक्री तक के प्रत्येक चरण पर पर्यवेक्षण हेतु Track & Trace System हेतु सॉफ्टवेयर भी विकसित करना था। विगत 1.5 वर्षों में कम्पनी द्वारा संपादित कार्यों के विश्लेषण की समीक्षा में यह पाया गया कि इनके द्वारा निविदा के सभी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा समर्पित उत्तर/स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप विभाग के द्वारा विद्वान महाधिवक्ता, झारखंड से परामर्शोपरांत अपर महाधिवक्ता, झारखंड से मंतव्य प्राप्त करते हुए M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. को आवंटित निविदा को दिनांक 13.06.2023 के प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

2. उत्पाद राजस्व संवर्द्धन एवं अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मदिरा के बोतलों पर विभिन्न सुरक्षा मानकों से युक्त होलोग्राम/उत्पाद आसंजक लेबल (EAL) को वर्ष 2015-16 से ही चिपकाया जा रहा है। विभागीय संकल्प संख्या 1848 दिनांक 24.08.2015 द्वारा भारत सरकार के उपक्रम, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press), नासिक, महाराष्ट्र को मनोनयन के आधार पर नामित करते हुए उत्पाद आसंजक लेबल प्राप्त किया जा रहा था। M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. को आवंटित निविदा को रद्द किये जाने के कारण, होलोग्राम/उत्पाद आसंजक लेबल आपूर्ति हेतु कोई संस्थान चयनित नहीं है। जबकि, उत्पाद राजस्व संवर्द्धन हेतु होलोग्राम/उत्पाद आसंजक लेबल, मदिरा के बोतलों पर चिपकाया जाना अतिआवश्यक है। पूर्व में भी भारत सरकार का उपक्रम, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press), नासिक, महाराष्ट्र का कार्य संतोषप्रद रहा है। वर्तमान में इनके द्वारा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उडिसा राज्य में उत्पाद आसंजक लेबल की आपूर्ति की जा रही है।

3. अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में राजस्वहित में निम्नांकित शर्तों के अधीन पुनः भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press), नासिक, महाराष्ट्र से अंतरिम व्यवस्था के तहत निविदा के माध्यम से होलोग्राम/EAL के आपूर्तिकर्त्ता के चयन किये जाने तक के लिए, उत्पाद आसंजक लेबल की प्राप्ति इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि बोतलों पर Track & Trace से संबंधित तकनीकों से युक्त उत्पाद आसंजक लेबल (EAL) की आपूर्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press), नासिक, महाराष्ट्र के द्वारा विभागीय मांग के अनुसार प्राप्त की जायेगी :-

- a) राजस्वहित, मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड वित्त नियामवली के नियम 245 के अधीन, वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र से झारखंड राज्य में बिक्री किये जाने वाले बोतलों/सैचेटस/कैन्स (Cans) पर उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) को चिपकाने हेतु झारखंड उत्पाद होलोग्राम (संशोधित) नियमावली, 2014 को इस हद तक शिथिल करते हुए उत्पाद आसंजक लेबल प्राप्त किया जायेगा।

- b) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा निर्मित उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) को झारखंड राज्य में झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा मूल्य का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) की आपूर्ति मूल्य 34 पैसा (परिवहन मूल्य, स्थापना खर्च, GST एवं अन्य कर छोड़कर) प्रति इकाई निर्धारित किया जाता है। भविष्य में आपूर्ति मूल्य का पुनरीक्षण आयुक्त उत्पाद एवं भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रतिनिधि की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप किया जायेगा ।

- c) भारत प्रतिभूमि मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र के माध्यम से उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) प्राप्त करने तथा इसके मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जाने की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें विभागीय अधिसूचना संख्या 1848 दिनांक 24.08.2015 के अनुरूप होगी। विभागीय अधिसूचना संख्या 1848 दिनांक 24.08.2015 में वर्णित शब्द "वितरकता अनुज्ञप्तिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञप्तिधारी" के स्थान पर "मदिरा आपूर्तिकर्त्ता" पढ़ा जायेगा ।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
